दूरभाष : 01472–294158

क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ
Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/691 दिनांकः 18/6/26

ई–निविदा सूचना सं. 01/2026–27

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौडगढ़ को एक वर्ष हेतु के लिये दर अनुबंध पर **मानव संसाधन सेवाऐं** उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्टत पंजीकृत एवं अनुभवी फर्म/ठेकेदार/संस्था/एजेन्सियों से वेबसाईट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन ई–बिड निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैं:–

कार्य विवरण	निविदा की अनुमानित लागत	निविदा शुल्क (DD/ Banker Cheque)	RISL शुल्क (DD /Banker Cheque)	निविदा प्रतिभूति राशि (DD/ Banker Cheque)	ई–बिड प्रारम्भ होने की तिथि व समय	ई–बिड अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि व समय	तकनीकी ई–बिड खोलने की तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6	7	8
04-(चार)- कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (उच्च कुशल)	23.00 लाख	Rs. 500/-	Rs. 500/-	Rs. 46000/-	19-06-2026	29-06-2026 दोपहर 12:00 बजे तक	29-06-2026 दोपहर 4:00 बजे
01-(एक)-वाहन चालक (कुशल)							
03-(तीन)- सिक्योरिटी मैन (कुशल)							
01-(एक) प्रयोगशाला परिचर (कुशल)							
01-(एक) क्षेत्र सहायक (कुशल)							
02-(दो)- चतुर्थ श्रेणी कार्मिक (अकुशल)							
01-(एक)- बागवान (अंशकालीन आधार पर) (कुशल)							
02-(दो)- सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर) (अकुशल)							

1. इच्छुक बोलीदाता निविदा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी http:/www.eproc.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट http:/www.environment..rajasthan.gov.in/rpcb से प्राप्त कर सकते है।
2. बिड प्रपत्र राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **MEMBER SECRETARY, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT CHITTORGARH** के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. बोली प्रतिभूति राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **REGIONAL OFFICER, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT CHITTORGARH** के नाम से जमा करवानी होगी।
4. **RISL** फीस का डीडी/बैंकर्स चैक रूपये **500/–MD, RISL, Jaipur** के नाम से देय होगा।
5. MSME/SSI यूनिट को नियमानुसार बोली प्रतिभूति में छूट देय होगी। बिड प्रपत्र, RISL, बोली प्रतिभूति शुल्क के बिना बिड स्वीकार नही की जावेगी।

NIB No **PCB2627A0034** UBN No **PCB2627SLOB00034**

(आशीष कुमार बोरसी)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दूरभाष : 01472—294156

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :—राप्रनिम / क्षैका चित्तौडगढ / 2026—27 / ई—निविदा संख्या—01 /   दिनांक:

ई—निविदा सूचना सं. 01 / 2026—27

कार्यालय—क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौडगढ़ एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ़

क.सं.	कार्य विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	विवरण
1	04-कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (उच्च कुशल)	रूपये 23.00 लाख	रूपये 500/- DD In favour of MD, RISL, Jaipur.	ई—बोली द्वारा
2	01-वाहन चालक (कुशल)			
3	03-सिक्योरिटी मैन (कुशल)			
4	01-प्रयोगशाला परिचर (कुशल)			
5	01-क्षेत्र सहायक (कुशल)			
6	02-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अकुशल)			
7	01-बागवान (अंशकालीन आधार पर) (कुशल)			
8	02-सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर) (अकुशल)			

Date of publication of Bid document	19-06-2026
Bid uploading Start Date	19-06-2026
Last date of physical submission of documents viz Bid document fees, RISL Processing fees and Bid Security	29-06-2026 दोपहर 01:00 बजे तक
Last date & time of uploading of Bid Document	29-06-2026 दोपहर 12:00 बजे तक
Date and Time of Opening of Techincal Bids	29-06-2026 दोपहर 4:00 बजे

बोली दस्तावेज SPPP पोर्टल पर NIB No. **PCB2627A0034** and UBN No **PCB2627SLOB00034** से प्राप्त किये जा सकते है।

(आशीष कुमार बोरासी)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दूरभाष : 01472–294158

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम / क्षैका चित्तौडगढ / 2026–27 / ई–निविदा संख्या–01 / दिनांकः

बोली आमंत्रण सूचना विवरण (ई–निविदा सूचना सं. 01 / 2026–27)

कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक, वाहन चालक, सिक्योरिटी मैन, प्रयोगशाला परिचारक, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक, सफाई कर्मचारी, बागवान,

1.	उपापन प्राधिकारी का नाम व पता	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पताः– एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ़
2.	विषय–वस्तु / कार्य का नाम	मानव संसाधन सेवाऐं किराये पर लिया जाना।
3.	बोली प्रक्रिया	दो बिडिगः– दो भाग (तकनीकी एवं वित्तीय) खुली प्रतियोगिता में ई–बिड प्रक्रिया
4.	बोली मूल्याकंन मापदण्ड (चुनाव प्रणाली)	कम से कम कीमत आधारित चयन (LCBS)
5.	बोली दस्तावेज, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट इत्यादि डाउनलोड करने के लिये वेबसाईट	https://eproc.rajasthan.gov.in https://sppp.rajasthan.gov.in https://www.environment..rajasthan.gov.in/rpcb
6.	बोली की अनुमादित राशि	23.00 लाख
7.	बोली प्रतिभूति राशि एवं भुगतान का प्रकार	46000 / – भुगतान का प्रकार :– डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक REGIONAL OFFICER, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT CHITTORGARH के नाम देय हो।
8.	बोली प्रपत्र शुल्क एवं भुगतान का प्रकार	500 / – भुगतान का प्रकार :– डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक MEMBER SECRETARY, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT CHITTORGARH के नाम देय हो।
9.	RISL प्रोसेसिंग शुल्क एवं भुगतान का प्रकार	500 / – भुगतान का प्रकार :– डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक MD RISL, JAIPUR के नाम देय हो।
10.	बोली दस्तावेज की बिक्री की अवधि (आरम्भ एवं समाप्ति दिनांक)	आरम्भ तिथि :–19 / 06 / 2026 अन्तिम तिथि :–29 / 06 / 2026 प्रातः 11:00 बजे तक
11.	बोली ऑनलाईन प्रस्तुत करने की आरम्भ एवं अन्तिम तिथि एवं समय	आरम्भ तिथि :– 19 / 06 / 2026 अन्तिम तिथि :– 29 / 06 / 2026 दोपहर 12:00 बजे तक
12.	बोली ऑनलाईन प्रस्तुत करने का तरीका	ऑनलाईन E-Proc वेबसाईट पता :– https://eproc.rajasthan.gov.in
13.	बोली प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेंसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति जमा करवाने की अंतिम दिनांक एवं समय (डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक)	दिनांक 29 / 06 / 2026 समय दोपहर 01:00 बजे तक

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दूरभाष : 01472-...

क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ
Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांकः

14.	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक समय व स्थान	दिनांक 29/06/2026 समय दोपहर 04:00 बजे स्थान–क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पताः– एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ़
15.	बोली वैधता	90 दिन
16.	कार्य की अवधि	01 वर्ष

इच्छुक बोलीदाता बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक नियत समय से पूर्व कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक है। बोली प्रतिभूति राशि हेतु राजस्थान लोक उपापन अधिनियम के नियम संख्या 42 में उल्लेखित नियम व शर्तो लागू रहेगी।

1. बोलीदाता का नाम :– ....

2. बोलीदाता का पता :–..

   ....

   ....

   ....

3. बोलीदाता के फोन नम्बर/मोबाईल नम्बर :– ....

4. वाट्सअप नम्बर :–..

5. ई–मेल आई डी :– ....

6. बोली प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तो को पढकर हस्ताक्षर कर दिये है, इनका पालन करने के लिये मै सहमत हूं तथा पालन करूंगा।

7. बोली को बिना कारण बताऐं निरस्त करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौडगढ का होगा।

8. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र चित्तौडगढ होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील

दूरभाष : 01472–294158

क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ
Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांकः

बोलीदाता हेतु दिशा–निर्देश

1. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चाही गई निविदा सेवाओं में उल्लेखित समस्त पदों का संकलित अनुभव रखने वाली फर्म की तकनीकी बोली ही स्वीकार्य होगी।
2. बोलीदाता को तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ PF, ESI, GST, PAN एवं श्रम विभाग में मानवश्रम आपूर्ति के उद्देश्य के रूप Shop & commercial Establishment Act में पंजीयन के प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करनी होगी। विवरण संलग्न प्रपत्र में अंकित करना होगा। तकनीकी बिड में वितीय बिड की दरें अंकित ना करे। ऐसा करने पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।
3. बोली प्रपत्र एवं शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं प्रस्तुत/संलग्न डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। फर्म/संस्था का अधिकृत व्यक्ति जो बोली प्रपत्रों, शर्तो, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा। उसी के साथ अनुबन्ध तथा समय–समय पर प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों पर भी हस्ताक्षर किये जायेगे। प्रत्येक पृष्ठ पर नम्बर अंकित करना होगा।
4. बोली की तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज Online Pdf File बनाकर Upload करने होगे।
5. सफल तकनीकी संवेदक की बोली की वित्तिय बिड Online BOQ में Excel File में डालनी होगी। तकनीकी में सफल संवेदक की ही वित्तिय बिड कार्यालय व्यवस्था अनुसार खोली जायेगी।
6. बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता प्रपत्रों को विभागीय इन्टरनेट साईट https://www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb से भी डाउनलोड (Download) कर सकते है।
7. बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को इन्टरनेट साईट https://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा।। ऑनलाईन बोली में भाग लेने के लिये Class 3 Digital Signature Certificate प्राप्त करना होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक बोली में साईन करने हेतु काम आयेगा। उपरोक्त डिजीटल सर्टिफिकेट स्वीकृति एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है।
8. बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल सिग्नेचर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल सिग्नेचर के साथ नही होगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक रूप से स्वीकार्य नही होगा।
9. इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों में जमा करवाने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ अटैच/संलग्न कर दी गई है। बोली प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
10. कोई भी बोली इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेवार विभाग/कार्यालय नही होगा।
11. ऑनलाईन बोली निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष डाउनलोड की जावेगी।
12. तकनीकी बिड में सफल बोलीदाताओं की ही कार्यालय व्यवस्था अनुसार वित्तिय बिड खोली जावेगी। बोली की समस्त प्रकिया ऑनलाईन होगी।
13. बोलीदाता बोली प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति के डीडी एवं समस्त शपथ पत्र दिनांक 29/06/2026 को दोपहर 01:00 बजे तक बन्द लिफाफें में इस कार्यालय में टेण्डर पेटी में आवश्यक रूप से डाले। लिफाफे पर मध्यम भाग में स्पष्ट अक्षरों में "**मैन पावर बोली देय शुल्क**" लिखें एवं नीचे सम्बन्धित फर्म का नाम आवश्यक लिखे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दूरभाष : 01472–294158

क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ
Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांकः

A. Annexure- General Terms & Conditions of Bid & Contract

Important Instruction: - The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 [hereinafter called the Act] and The Rajasthan Transparency in Public procurement Rules 2013 (hereinafter called the Rules) under the said Act have come into come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore the bidders are advice to acquaint themselves with the provision of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and Rules and this bidding document the provision of the Act and the Rules shall prevail.

(A) सामान्य शर्ते

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगें।
2. वित्तीय दरों को तकनीकी बोली प्रपत्र तथा तकनीकी बोली के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों में कहीं भी उल्लेख नहीं करें, ऐसा करने पर वित्तीय बोली नहीं खोली जायेगी।

(B) वित्तीय एवं अनुबंध संबंधी शर्ते

3. **सेवा शुल्क संबंधी :–** बोलीदाता सेवा शुल्क की उचित/व्यवहारिक दरें प्रस्तुत करेगा। सेवा शुल्क केवल पूर्ण रुपये में ही भरा जायेगा (दशमलव स्वीकार्य नहीं होगा)। पैसे (paise) में कोई राशि स्वीकार्य नहीं होगी। निर्धारित प्रारूप में ही दरें अंकित की जायेंगी, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
4. **अनुबंध निष्पादन संबंधी शर्ते :–** अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर नियमानुसार स्टॉम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
5. **करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति** (Agreement and Performance Security) :–

   (अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन मे सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 5% (पांच प्रतिशत) राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रुप में ड़िमान्ड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में **REGIONAL OFFICER, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD CHITTORGARH, PAYABLE AT CHITTORGARH** के नाम पर जमा करानी होगी एवं 500 रुपये के नॉन–ज्यूडिशयल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम निर्धारित एस.आर. प्रारुप 17 मे एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

   (ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।

   निविदा प्रपत्र पर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर मय सील कर प्रस्तुत करने पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदादाता की कोई शर्त मान्य नही होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में निविदा कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(C) पात्रता एवं वैधानिक पंजीकरण संबंधी शर्तें

6. **पंजीकरण एवं वैधानिक पात्रता संबंधी शर्तें :–** बोलीदाता का सक्षम श्रम अधिकारी से श्रम प्रावधानों के अंतर्गत मानव श्रम आपूर्ति के अनुज्ञा (लाइसेंस) के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। साथ ही, उसका पंजीयन Shop – Commercial Establishment Act अथवा Indian Partnership Act, 1932/1956 के अंतर्गत होना अनिवार्य होगा। बोलीदाता के पास, सेवाकर खाता संख्या एवं आयकर खाता संख्या (पैन) होना आवश्यक है। सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, बोलीदाता/संवेदक का राजस्थान संविदा श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक है। केवल ऐसे पंजीकृत निविदादाता/संवेदक ही उक्त निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

पंजीकरण प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य का अनुभव रखने वाली पंजीकृत फर्म/व्यक्तियों द्वारा ही निविदा प्रस्तुत की जाएगी (अनुभव संबंधी दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा)।

फर्म होने की स्थिति में पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति निविदा के साथ संलग्न होने पर ही निविदा स्वीकार की जाएगी।

फर्म के गठन आदि में किसी परिवर्तन की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौडगढ को लिखित में संवेदक द्वारा दी जायेगी तथा नई पंजीयन के संदर्भ में किसी भी दायित्व से फर्म को पहले सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जायेगा तथा फर्म के नय/नये भागीदार संविदा शर्तों/नियमों को पूर्ण रूप से मानने/स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे।

बोलीदाता फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022–23, 2023–2024, 2024–2025) में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में Assessed Turnover कम से कम 25.00 लाख रु. **(प्रपत्र–1 सलंग्न करे)** होना चाहिए। इसके लिए बोलीदाता को बोली प्रपत्र के साथ आयकर विभाग में दाखिल की गई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा Audited Balance Sheet की प्रति अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी सर्टिफिकेट Assessed Turnover 25 lacs or above की प्रति सलंग्न करना आवश्यक होगा। CA द्वारा जारी समस्त प्रमाण पत्र UDIN पद्धति से होने चाहिए।

अतिरिक्त पात्रता शर्तें (अनुभव एवं सेवा निष्पादन संबंधी) :– बोलीदाता को राजकीय विभागों, निगमों, सरकारी व अर्धसरकारी संस्थाओं अथवा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के कार्यालयों में निविदा सेवाओं में उल्लिखित समस्त पदों हेतु सेवा निष्पादक/कार्मिकों की आपूर्ति कराने का पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (2021–22 से 2025–26) में कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है।

उक्त अनुभव के समर्थन में संबंधित विभाग द्वारा जारी संतोषजनक कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। केवल कार्य आदेश (Work Order) को मान्य नहीं माना जाएगा। **(प्रपत्र–2 सलंग्न करे)**

तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ कम से कम 25 सेवा निष्पादकों/कार्मिकों की विगत 3 माह की ई.पी.एफ. जमा भुगतान कन्फर्मेशन रिपोर्ट स्वहस्ताक्षरित संलग्न करना आवश्यक होगा।

7. **वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 14.11.2018 के पालन संबंधी शर्तें :–** बोलीदाता (Bidder) के द्वारा बोली प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबन्ध अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो बोलीदाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवाया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह नियमानुसार वचन–पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दूरभाष : 01472–294158

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांक:

सफल बोलीदाता को यह शपथ–पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि बोली अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबन्ध अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो तदनुसार पंजीकरण संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवाया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन–पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।''

(D) भुगतान एवं कर संबंधी शर्ते

8. **भुगतान प्रणाली संबंधी शर्ते** :– संवेदक/निविदादाता/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा।

संवेदक द्वारा प्रत्येक माह का बिल आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका सत्यापन कार्यालय अध्यक्ष से कराया जायेगा। भुगतान बैंक पद्धति (Cheque) के माध्यम से किया जायेगा।

संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण से अधिकृत अधिकारी की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा। संवेदक द्वारा प्रत्येक माह श्रमिकों को किये गये भुगतान का बैंक स्टेटमेंट/वेतन भुगतान विवरण भी बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

संवेदक/निविदादाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा करना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती एवं संवेदक/निविदादाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/निविदादाता द्वारा आगामी माह के बिल के साथ गत माह के श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराने के प्रमाण स्वरूप संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त चालान प्रस्तुत किये जाने पर ही आगामी माह का बिल/भुगतान देय होगा। यदि उक्त चालान प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो संबंधित माह का बिल/भुगतान देय नहीं होगा। संवेदक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके द्वारा पिछले माह का भुगतान (EPF/ESI सहित) समस्त श्रमिकों को बिना किसी कटौती के कर दिया गया है।

कार्यालय द्वारा सेवा प्रदाता के भुगतान में यदि देरी भी होती है तो संवेदक को सेवा निष्पादकों को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान में 03 से अधिक बार देरी होने पर अन्य फर्म को कार्य आदेश दिया जा सकेगा तथा फर्म की प्रतिभूति राशि जब्त कर भविष्य में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से भी प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

9. **पूर्व ठेका कर्मियों के EPF स्थानांतरण संबंधी शर्ते** :– सफल सेवा प्रदाता को नियुक्ति के उपरांत पूर्व में कार्यरत ठेका श्रमिक, जो वर्तमान में अनुबंध के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, उनके ई.पी. एफ. की राशि को दो माह के भीतर नये खाते में स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा।

10. **कर (Taxes) संबंधी शर्ते** :– ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों से वैधानिक कटौतियाँ जैसे टी. डी.एस. एवं अन्य करों की वसूली नियमानुसार की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की स्वयं की होगी।

11. **GST संबंधी शर्ते** :– संवेदक/निविदादाता/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक/निविदादाता की होगी।

संवेदक/निविदादाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये GST की चालान प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। GST राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में GST का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस स्थिति में GST से संबंधित किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक/निविदादाता की होगी।

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत सभी चालान ऑनलाइन सत्यापित UDIN पद्धति से ही मान्य होंगे।

(E) सेवा निष्पादन, अभिलेख एवं वैधानिक अनुपालन संबंधी शर्तें

12.**सेवा निष्पादन, प्रदर्शन बोर्ड एवं अभिलेख संधारण संबंधी शर्तें** :– निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा, जिस पर निविदादाता/संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाइन नंबर तथा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किये जाने की शिकायत संबंधी प्रावधान स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे।

ठेके पर उपलब्ध कराए जाने वाले कर्मियों की सूची (नाम एवं पते सहित) संबंधित ठेकेदार द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी तथा समय–समय पर कर्मियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने पर क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।

प्रत्येक कर्मचारी के आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, आयु प्रमाण पत्र आदि कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। संवेदक संबंधित व्यक्तियों की शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ सुरक्षित रखेगा तथा मूल दस्तावेजों से मिलान कर सत्यापन सुनिश्चित करेगा।

कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारियों के मांगने पर संवेदक उक्त अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ एवं आवश्यकतानुसार फोटोकॉपी उपलब्ध कराएगा। शैक्षणिक, प्रशिक्षण, दस्तावेजों एवं योग्यता की सत्यता सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व संवेदक का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा कमी पाए जाने पर संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक/कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

13.**वैधानिक अनुपालन संबंधी शर्तें** :– श्रम विभाग के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र /राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में इसके परिणामों/दायित्वो के लिये निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता स्वयं उतरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त कौशल विकास योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व भारत सरकार की अन्य योजनाओं में सेवा निष्पादक का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

अनुपस्थिति/कार्य में लापरवाही – कर्मचारी कार्य के दौरान सोते हुए पाये जाने पर या कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर भुगतान काटा जायेगा। तथा ठेकेदार से पैनेल्टी के रूप में 200/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान काटा जायेगा।

(F) श्रम, दायित्व एवं बीमा संबंधी शर्तें

14.**न्यूनतम मजदूरी संबंधी शर्तें** :–न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व तथा श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजूदरी दरो के अनुसार अनुबंधित कार्मिकों को भुगतान करने का दायित्व संबंधित निविदादाता/ठेकेदार का होगा। ठेकेदार द्वारा कार्यालय में अनुबंधित कार्मिको को श्रम विभाग राजस्थान सरकार की नवीनतम अधिसूचना में निर्धारित दर से कम पर भुगतान नहीं होगा, यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दरे बढाई जाती है तो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निविदादाता/ठेकेदार को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

15.**विवाद एवं उत्तरदायित्व संबंधी शर्तें** :– यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिको के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उतरदायी होगा।

संवेदक द्वारा कार्य के दौरान जान–माल अथवा अन्य किसी भी प्रकार की हानि होने पर हानि एवं क्षति के लिए संवेदक का उत्तरदायित्व होगा, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौडगढ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ (राज.)

क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ
Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांकः

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण होने से पूर्व हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस देने, वेतन, मुआवजा आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियों का पूर्ण दायित्व संवेदक/निविदादाता का होगा।

16. **दुर्घटना एवं बीमा संबंधी शर्तें :–** कार्य निष्पादन अवधि के दौरान कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की दुर्घटना, क्षतिपूर्ति अथवा मुआवजा देने, ई.एस.आई. कराना तथा समूहिक/व्यक्तिगत बीमा करवाने आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/संवेदक/सेवा प्रदाता की होगी। इसके लिए उपापन संस्था (कार्यालय/विभाग) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

ठेकेदार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान नियोजित समस्त कार्मिकों का कार्य स्थल पर ड्यूटी के दौरान तथा ड्यूटी पर आने–जाने के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व वहन किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार बीमा कवर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।

केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं (जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आदि) के अंतर्गत पात्र सेवा निष्पादकों का पंजीकरण/नामांकन करवाना संवेदक के लिए अनिवार्य होगा। संवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पात्र कार्मिक उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करें तथा आवश्यकतानुसार संबंधित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएंगे।

(G) श्रम नियंत्रण एवं दण्डात्मक प्रावधान

17. **न्यूनतम मजदूरी उल्लंघन संबंधी शर्तें :–** बोलीदाता द्वारा सेवा निष्पादक से किसी प्रकार का कमीशन नहीं लिया जाएगा तथा सेवा निष्पादक को सेवा समाप्ति के संबंध में अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। सेवा निष्पादक को नियुक्त करने अथवा हटाने से पूर्व कार्यालय की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

यदि निविदादाता/संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने संबंधी कोई शिकायत उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) को प्राप्त होती है, तो इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार RTPP नियमों के अंतर्गत संबंधित निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता के विरुद्ध डिबार (Debar) करने एवं कार्यादेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(H) संचालन एवं कार्य निष्पादन संबंधी शर्तें

18. **अतिरिक्त भुगतान संबंधी शर्तें:–** यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मध्यनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नही करते हुए इस पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा।

19. **कार्मिक संख्या संबंधी शर्तें :–** कर्मचारियों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारन्टी नही दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नही करने की स्थिति में निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नही होगा। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने पर अनुबंधित निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।

20. **दर संशोधन संबंधी शर्तें :–** श्रम विभाग अथवा मण्डल स्तर से यदि दरों में संशोधन किया जाता है तो सेवा प्रदाता द्वारा उसका भुगतान बढ़ी हुई दरों के अनुसार किया जायेगा, जिसका पुनर्भरण 10 दिवस में कार्यालय से होगा।

21. **कार्य संतोषजनकता संबंधी शर्तें :–** ठेकेदार को मासिक भुगतान संतोषप्रद कार्य होने पर किया जाएगा। कार्यसम्पादन के संतोषप्रद होने का मापदण्ड इस कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी का होगा। क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबंध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबंधकर्ता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा। किसी शिकायत अथवा ठेकेदार की लापरवाही पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उचित कटौती कर भुगतान किया जा सकेगा, अधिक शिकायत होने पर कटौती में वृद्धि की जा सकती है। कार्य के अत्यधिक असंतोषप्रद होने पर या फर्म द्वारा इसमें सुधार न करने की स्थिति में क्षेत्रीय अधिकारी अन्य संविदा कर्मियो को लगाकर उनसे कार्य करवा लिया जावेगा, जिसका खर्चा ठेकेदार के बिल से काट लिया जावेगा एवं सात दिवस के नोटिस से अनुबन्ध को निरस्त भी किया जा सकता है। ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या प्रशासन के निर्देशो की पालना नही की जाती है तो अनुबंध भंग करना माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेका समाप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, चित्तौडगढ को होगा।

बोलीदाता सेवा निष्पादक से कोई कमीशन नहीं लेगा, न ही सेवा निष्पादक को सेवा समाप्ति के संबंध में परेशान करेगा। सेवा निष्पादक को लगाने व हटाने से पूर्व कार्यालय की अनुमति प्राप्त करनी होगी। किसी भी प्रकार की शिकायत सेवा प्रदाता/सेवा निष्पादक के संबंध में प्राप्त होने पर श्रम विभाग को सूचित कर उपयुक्त संस्था द्वारा RTPP नियमों अनुसार DEBAR व कार्य आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

यदि किसी सेवा निष्पादक का कार्य/व्यवहार संतोषजनक नहीं पाया जाता है अथवा उसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे कार्यालय के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से कार्य से हटाया जा सकेगा तथा सेवा प्रदाता को कार्यालय के निर्देशानुसार उसके स्थान पर नया सेवा निष्पादक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

22. **उप-ठेका (Sublet) निषेध** :– बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नही देगा।

23. **निविदा निरस्तीकरण अधिकार** :– विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।

24. **सेवा की प्रकृति एवं नियोजन संबंधी शर्तें** :– सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मानव संसाधन सेवाएं पूर्णतः अस्थायी होंगी तथा अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर संबंधित कर्मियों की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेंगी। इन सेवाओं के आधार पर किसी भी प्रकार की नियमित नियुक्ति/नियोजन का कोई अधिकार मान्य नहीं होगा।

25. **सेवा समय निर्धारण संबंधी शर्तें** :– सेवाओं का समय राज्य सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार होगा, किन्तु आवश्यकता होने पर कार्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात तथा अवकाश के दिनों में भी सेवाएं ली जा सकती हैं, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

26. **कार्मिक उपलब्धता समय सीमा** :– सफल बोलीदाता द्वारा आवश्यकतानुसार कार्मिकों को अधिकतम 03 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अतिरिक्त मांग की स्थिति में भी कार्मिकों की उपलब्धता 03 दिवस के भीतर सुनिश्चित की जाएगी।

संवेदक द्वारा सेवा निष्पादक को क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौड़गढ़ में आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। निर्धारित समय सीमा में कार्मिक उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में संबंधित संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कटौती/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

(I) मूल्यांकन एवं चयन संबंधी शर्तें

27. **मूल्यांकन एवं समान दर की स्थिति में चयन की कसौटी** :– निविदा में सफल/क्वालिफाइड निविदादाता/संवेदक का चयन प्रति इकाई प्रति माह कुल न्यूनतम दर के आधार पर किया जाएगा। वित्तीय निविदा का मूल्यांकन कॉलम में दर्शित कुल योग के आधार पर किया जाएगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दूरभाष : 01472–294158

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांक:

यदि प्रति इकाई प्रति माह न्यूनतम दर एक से अधिक निविदादाताओं की समान प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में केवल न्यूनतम दर ही नहीं, बल्कि निविदादाताओं द्वारा पूर्व में किये गये समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव, उनके पंजीयन की प्रमाणिकता, कार्य निष्पादन की क्षमता, स्थानीय परिस्थितियाँ तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

इस हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की उपापन समिति अपने विवेक से परीक्षण कर, संबंधित निविदादाताओं के 03 वित्तीय वर्षो (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) के औसत वार्षिक टर्नओवर (कुल टर्नओवर ÷ 3), निविदादाताओं के अनुभव, गत कार्यों के निष्पादन, कार्य करने की क्षमता, एवं आदि के आधार पर गुणांकन करते हुए किसी भी न्यूनतम दरदाता की निविदा की स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

इस संबंध में किसी भी प्रकार का वाद–विवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उपापन समिति अन्य निविदादाताओं को इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं होगी।

आवश्यकता/उपयुक्त समझे जाने पर समानान्तर दर पर अनुबंध किया जा सकेगा।

(J) प्रतिभूति एवं वित्तीय नियंत्रण संबंधी शर्तें

28.**बोली अपवर्जन (Exclusion) :–** राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 25 मे उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

29.**कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):–**

कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रुप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा:–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने मे असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) का निर्णय अंतिम होगा।

किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दण्ड राशि का भुगतान संवेदक को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि में से वसूल करने का अधिकार इस विभाग को होगा।

(K) विवाद निस्तारण संबंधी शर्तें

30.**विवाद निस्तारण संबंधी शर्त :–** विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।

(L) कार्मिक पहचान, अनुशासन एवं नियंत्रण संबंधी शर्तें

31.**पहचान पत्र संबंधी शर्तें :–**निविदादाता द्वारा लगाये गये कार्मिको को निविदादाता द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान कार्ड लगाना पहनना आवश्यक होगा। निविदादाता द्वारा लगाये गये कर्मचारियो हेतु निविदादाता स्वयं उतरदायी होगा।

32.**अनुशासन संबंधी शर्तें :–** कर्मचारी द्वारा कार्य न करने, ताश खेलना, कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने, धुमपान–गुटका–पान–शराब एवं किसी भी प्रकार का व्यसन लेने तथा अनपेक्षित आचरण एवं अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सभी प्रकार की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दण्ड राशि का भुगतान फर्म/संवेदक को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि में से वसूल करने का अधिकार विभाग को होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ
Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांकः

33.**ऑडिट आपत्ति संबंधी शर्तें :–** स्वीकृत ठेके की अवधि का अंकेक्षण के दौरान यदि अंकेक्षण दल द्वारा आपके विरूद्ध किसी भी तरह की बकाया निकाली जाती है तो उसे जमा करने हेतु बाध्य रहेगें।

34.**दोषी कार्मिक प्रतिबंध :–** सफल निविदादाता द्वारा पूर्व में कार्य व्यवहार मे दोषी पाये गये कार्मिको को नहीं रखा जायेगा तथा इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय की पूर्व सहमति आवश्यक होगी।

इसके अतिरिक्त बोलीदाता द्वारा करवाये जाने वाले समस्त सेवा निष्पादकों का राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन संलग्न करना होगा, जो छह माह से अधिक पुराना न हो।

(M) दण्ड एवं अनुबंध समाप्ति संबंधी शर्तें

35.**मैन विद मशीन/सेवा निष्पादक की अनुपस्थिति एवं कंप्यूटर बंद रहने पर दण्ड संबंधी शर्तें** :– मैन विद मशीन/सेवा निष्पादक के निरन्तर 03 दिन तक अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार ₹200/- की पेनल्टी काटी जाएगी। इसी प्रकार, 04 दिवस से अधिक अवधि तक कंप्यूटर बंद रहने की स्थिति में ₹200/- प्रति दिवस की दर से अतिरिक्त कटौती की जाएगी।

36.**अनुबंध समाप्ति शर्तें** :– अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोडता है व कर्मचारियो को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा अमानत राशि के स्थान पर उल्लेखित घोषणा पत्र अनुसार कार्यवाही कर कार्य सम्पादन राशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसी स्थिति में उसकी समस्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करने व अन्य सफल निविदाओ में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय चित्तौडगढ को होगा।

(N) सामान्य प्रशासनिक शर्तें

37.**आयु एवं स्वास्थ्य शर्तें :–** निविदादाता द्वारा स्वस्थ एवं शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतया फिट 18 से 50 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को ही लगाया जायेगा। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का निविदादाता द्वारा नियोजन नही किया जायेगा।

38.**शर्तयुक्त निविदा अस्वीकार्य :–** सशर्त निविदाएं स्वीकार नही होगी।

39.**कानूनी दायित्व :–** निविदादाता स्वयं /उसके द्वारा लगाये गये कार्मिको के संबंध में समस्त कानूनी दायित्व/श्रम कानून के पालना की जिम्मेदारी निविदादाता की रहेगी।

40.**अंतिम निर्णय अधिकार :–** किसी भी विवाद के समय क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौडगढ का निर्णय अंतिम होगा, जो पूर्णतया मान्य एवं मंजूर होगा।

41.**अन्य शर्तें :–** शेष अन्य शर्तें वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र F2-(1)SPFC/2017 Dated 30.04.2018 के अनुरूप होगी।

(O) विशेष प्रावधान (Special Clauses)

42.**मानव संसाधन उपलब्धता एवं अनुबंध संबंधी शर्तें** :– सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कार्मिकों का कार्यालय के साथ किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सेवा संबंध स्थापित नहीं माना जाएगा।

सेवा प्रदाता द्वारा अनुबंध से पूर्व प्रस्तावित कार्मिकों की सूची (योग्यता एवं अनुभव सहित) प्रस्तुत की जाएगी, जिन पर कार्यालय की स्वीकृति आवश्यक होगी। स्वीकृत कार्मिकों को ही कार्य पर लगाया जाएगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सेवा प्रदाता द्वारा श्रम विभाग के प्रचलित नियमों, वैधानिक प्रावधानों एवं आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

43.**संशोधन अधिकार :–** उपर्युक्त शर्तो संख्या 1 से 48 में किसी भी शर्त में शिथिलता देने या हटाने या नई शर्तो को जोडने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, चित्तौडगढ को होगा। बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

घोषणा / Declaration

मैं/हम, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी ई–निविदा संख्या 01/2026–27 दिनांक .... में वर्णित समस्त सेवाओं एवं पदों के संबंध में पूर्ण एवं उपयुक्त दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रहे हैं। प्रस्तुत निविदा पत्रों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाणस्वरूप यह घोषणा प्रस्तुत की जा रही है।

मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे स्तर पर कर ली गई है तथा सभी दस्तावेज विधिवत एवं अभिलेखीय रूप से सत्य एवं सही हैं।

यदि निविदा प्रक्रिया अथवा निविदा प्रक्रिया के पश्चात किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध पाई जाती है, तो इसके लिए मैं/हम पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे। इस स्थिति में विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर, किसी भी समय, बिना किसी पूर्व सूचना के, मेरे/हमारे विरुद्ध नियमानुसार विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...

दूरभाष : 01472—294158

क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ
Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :—राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026—27/ई—निविदा संख्या—01/ दिनांकः

—: तकनीकी बोली प्रपत्र (Technical Bid) :—

1.	बोली आमंत्रित करने वाला कार्यालय	क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पताः— एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ़
2.	बोली आमन्त्रण का संदर्भ	ई— निविदा सूचना संख्या — 01/2026—2027
3.	बोली के अधीन कार्य का विवरण	किराये पर मानव संसाधन सेवाऐं (कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक, वाहन चालक, सिक्योरिटी मैन, प्रयोगशाला परिचारक, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक, सफाई कर्मचारी, बागवान)
4.	उपापन संस्था	क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौडगढ
5	बोलीदाता फर्म का विवरण	नाम: पता कार्यालय: टेलीफोन नं.: मोबाईल नं.: प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम: ई—मेल: वेबसाईट:
6	क्या बोलीदाता फर्म/संस्था पंजीकृत है? यदि हां तो............... पंजीयन क्रमांक व दिनांक: पंजीयक कार्यालय/प्राधिकारी: विधि, जिसके तहत पंजीकृत है: पंजीयन की वैधता समाप्ति दिनांक: राज्य जिसमें पंजीकृत है।	
7	निविदा में उल्लिखित समस्त पदानुसार 03 वर्षों का राजकीय विभागों, निगमों, अर्द्व सरकारी संस्थाओं या राज्य सरकार/केंद्र सरकार के कार्यालयों में उपलब्ध करवायें गये। संविदा कार्मिको के संबंध में सफलतापूर्वक कार्य अनुभव/कार्य पूर्णता प्रमाण—पत्र की प्रति सलंग्न कर विवरण **प्रपत्र 02** में उल्लेखित करें।	उल्लेखित पदानुसार सफलतापूर्वक/संतोषजनक कार्य अनुभव प्रमाण—पत्र के प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
8	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
9	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांकः

10	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
11	प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 व नियम 2006 (PASARA) (सिक्योरिटी मैन की सेवाओं हेतु अनिवार्य)	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
12	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 2013 के अन्तर्गत	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
13	वस्तु एवं सेवा कर (GST) का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
14	आयकर (पेन) का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
15	गत 03 वर्ष वित्तिय वर्ष (2022–2023, 2023–2024 एवं 2024–2025) में न्यूनतम टर्न ऑवर (15 लाख) जिसमें समर्थन में चार्टेट एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित पत्र एवं सम्बन्धित वर्षो की बैंलेस शीट तथा आईटीआर **प्रपत्र–1** सलंग्न करे	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
16	शपथ पत्र 100 रू. नोन ज्यूडिसीयल स्टाम्प पर ब्लैकलिस्टेड नही होने सम्बन्धी	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
17	निविदादाता की वित्तिय स्थिति सुदृढ होने के प्रमाण हेतु बैंक गारन्टी के तौर पर Bank Solvency कम से कम 15 लाख रूपये तक होना आवश्यक है।	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
18	कम से कम 25 सेवा निष्पादकों/कार्मिकों की विगत 3 माह की स्वहस्ताक्षरित ई.पी.एफ. जमा भुगतान कन्फर्मेशन रिपोर्ट	प्रमाणित प्रति सलंग्न करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...

दूरभाष : 01472–294158

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांकः

वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार बोलीदाता/संवेदक द्वारा पंजीकरण इत्यादि का विवरण नियमानुसार प्रस्तुत करें

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आयकर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				

बोलीदाता हेतु महत्त्वपूर्ण आवश्यक निर्देश

1. वित्तीय दरों को तकनीकी बोली प्रपत्र तथा तकनीकी बोली के साथ अपलोड किये जाने दस्तावेजों में कहीं भी उल्लेख नहीं करे, ऐसा करने पर बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।

2. तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता को ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।

3.तकनीकी बिड तथा वित्तीय बिड को ऑनलाईन वेबसाईट https://www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।

4. तकनीकी बिड को ई–प्रोक्योरमेन्ट पर ही ऑनलाईन अपलोड करें, इस कार्यालय में भौतिक रूप से जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।

5. बोली प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति (डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक) एवं समस्त शपथ पत्र, जो बिड प्रपत्र में निर्धारित की गई है, को जमा करवाने की अंतिम दिनांक एवं समय के डी.डी. दिनांक 29/06/2026 को दोपहर 01:00 बजे तक बन्द लिफाफे में इस कार्यालय में टेण्डर पेटी में अवश्य डालें। लिफाफे पर मध्य भाग में स्पष्ट अक्षरों में **"मेन पावर बोली देय शुल्क"** लिखे एवं नीचे संबंधित फर्म का नाम लिखें। उसके बाद डी.डी. प्रस्तुत करने वाले बोलीदाताओं की तकनीकी एवं वित्तीय बोली नहीं खोली जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दूरभाष : 01472–294158

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांकः

बोलीदाता द्वारा तकनीकी रूप से पात्र होने की घोषणा क्षेत्रीय अधिकारी, राज, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, चित्तौडगढ

1. यह कि मैं/हम (नाम)...क्षेत्रीय कार्यालय, रा. प्र. नि. म. चित्तौडगढ द्वारा प्रकाशित बोली ई–सूचना संख्या 01/2026–2027 दिनांक .... के प्रत्युत्तर के बोली में वर्णित सेवाए उपलब्ध कराने के लिए एतद् द्वारा तकनीकी बोली प्रस्तुत कर रहा हैं/रहे हैं। तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज / प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैंः–
   (1)बोली प्रपत्र शुल्क राशि ....– रूपये जमा कराने का विवरण (छाया प्रति)पृष्ठ संख्या........
   (2)बिड प्रोसेसिंग फीस का .... जमा कराने का विवरण (छाया प्रति) पृष्ठ संख्या.........
   (3)बोलीदाता फर्म/संस्था के पंजीकरण का विवरण पृष्ठ संख्या...
   (4)3 वर्षो की सेवाएँ उपलब्धता का संतोषजनक कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या.............................
   (5)श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स का विवरण एवं वैधता तिथि पृष्ठ संख्या..
   (6)पेन (PAN) पृष्ठ संख्या..
   (7)जीएसटी (GST) पंजीयन का विवरण पृष्ठ संख्या..
   (8)ESI पंजीयन (नवीनतम) प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या...
   (9)EPF पंजीयन (नवीनतम) प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या...
   (10)सी. ए. का टर्नओवर प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या..
   (11)फर्म के वित्तीय वर्ष (2022–23, 2023–24 एवं 2024–2025) के अंकेक्षित अंतिम खाते पृष्ठ संख्या.....
   (12)बैंक खाता पासबुक, निरस्त बैंक की छाया प्रति पृष्ठ संख्या...
   (13)वित्तिय स्थिति सुदृढ होने के प्रमाण हेतु बैंक द्वारा जारी बैंक गारन्टी के तौर पर Bank Solvency कम से कम 15 लाख रूपये तक।
2. यह कि इस बोली के संबंध में समस्त शर्तें मेरे हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ ली गई है. जिसके प्रमाण स्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। मै/हम उन शर्तों की पालना करने के लिए वचनबद्ध हूँ/है।
3. यह है कि इस बोली के तहत अनुबन्ध होने से पूर्व मेरे द्वारा श्रम विभाग के राक्षम अधिकारी से श्रमिक ठेका लाइसेंस लेना होगा, उतनी संख्या में श्रमिकों का बीमा मेरे/हमारे द्वारा कराया जायेगा।
4. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार पंजीकरण के समस्त विवरण उपलब्ध करवा दिये गये हैं।
5. यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, चित्तौडगढ़ द्वारा चाहे गये पदानुसार अनुभव सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न कर दिये है।

नोटः– तकनीकी बोली में उपरोका बिन्दु मूल्याकन की अनिवार्य शर्त है, जिनके आधार पर बोलीदाता सरथा/ठेकेदार की पात्रता का निर्णय किया जावेगा

बोलीदाता के हस्ताक्षर	
दिनांक	
ठेकेदार/संस्था का नाम	
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम	
दूरभाष संख्या (कोड सहित) मोबाईल फोन नम्बर	
ई–मेल	

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दूरभाष : 01472–294158

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम / क्षैका चित्तौडगढ / 2026–27 / ई–निविदा संख्या–01 / दिनांकः

–: कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की सेवायें किराये पर लेने हेतु मांगी जाने वाली निविदा के लिये विशिष्ठ शर्तें:–

i) **कम्प्यूटर** – Intel Core i3/समकक्ष AMD आधारित कम्प्यूटर अथवा उससे उच्च क्षमता का, RAM 2/4 GB या उससे अधिक, हार्ड डिस्क 250 GB या उससे अधिक, 15" मॉनिटर/TFT या उससे बड़ा, 10/100/1000 Mbps LAN कार्ड, CD/DVD राइटर, मानक कीबोर्ड, ऑप्टिकल माउस, स्टैण्डर्ड सीरियल, पैरेलल एवं USB पोर्ट, Windows 7 या उससे उच्च संस्करण, एंटी वायरस, पूर्व स्थापित MS Office। सॉफ्टवेयर लाइसेंस की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

ii) **प्रिंटर** – ब्लैक एंड व्हाइट लेजर प्रिंटर जिसकी गति 15 ppm या उससे अधिक हो। विशेष आवश्यकता होने पर डॉट मैट्रिक्स/इंकजेट प्रिंटर का उपयोग लेजर प्रिंटर के स्थान पर किया जा सकता है।

iii) **UPS** – उपरोक्त कम्प्यूटर एवं प्रिंटर हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन UPS, जिसमें कम से कम 30 मिनट का बैटरी बैकअप हो।

---

2. प्रशिक्षित कार्मिक

कार्मिक स्नातक होना चाहिए तथा उसे Windows/Linux वातावरण में कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। Word Processor, Spreadsheet एवं इंटरनेट संचालन सहित अन्य कार्यालयीन कम्प्यूटर कार्यों का अच्छा ज्ञान/अभ्यास होना चाहिए। साथ ही हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपिंग में पर्याप्त गति होनी चाहिए तथा Kruti Dev एवं Mangal फॉन्ट में टाइपिंग कार्य का ज्ञान होना चाहिए।

---

3. मशीन सहित कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य

• शासन के आदेशानुसार कार्यालय का समय प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक रहेगा। अतः सभी ऑपरेटरों को निर्धारित समय में उपस्थित होकर कार्य करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर शासकीय अवकाश के दिन भी कार्यालय में उपस्थित होना होगा। इसके लिए फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
• सभी ऑपरेटरों को हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपिंग तथा प्रिंटिंग कार्य का अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है।
• सभी ऑपरेटरों को डाटा एंट्री कार्य का अच्छा अनुभव एवं गति होनी चाहिए।
• ऑपरेटरों को MS Word, MS Excel, PowerPoint आदि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा ई-मेल प्राप्त करना एवं भेजना आना चाहिए।
• विभिन्न पोर्टल एवं मॉड्यूल पर जानकारी अपलोड करने का ज्ञान होना चाहिए।
• कम्प्यूटर एवं अन्य मशीनों के माध्यम से ई-गवर्नेंस से संबंधित कार्य करना होगा।
• संबंधित अधिकारी द्वारा दिए गए उपरोक्त सभी कार्यों का निर्वहन करना होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...

दूरभाष : 0147...

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांकः

सिक्यूरिटी मैन की सेवायें किराये पर लेने हेतु मांगी जाने वाली निविदा के लिये विशिष्ट शर्तें :–

1. सुरक्षा कर्मी संस्था के पास प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 व नियम 2006 (PASARA) का वैद्य लाइसेंस होना आवश्यक हैं।
2. सिक्योरिटी मैन रूप में कार्य करने वाले श्रमिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। शारीरिक रूप से विकंलाग अक्षम श्रमिक को चौकीदार या सिक्योरिटी मैन के रूप में कार्य पर नहीं रखा जायेगा।
3. रात्रि में परिसर के अन्दर चौकीदारी करने वाला सिक्योरिटी मैन पूरे परिसर में घूम घूम कर पूर्ण सतर्कता से पूरे परिसर में सभी जगहो की चौकीदारी करेगा।
4. सिक्योरिटी मैन के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक के पारिश्रमिक का भुगतान बोलीदाता के द्वारा किया जायेगा व श्रमिक को सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. सिक्योरिटी मैन के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक को कार्य पर निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही पहुंचना होगा।
6. सिक्योरिटी मैन के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक द्वारा अवकाश पर जाने की सूचना दो दिन पूर्व क्षेत्रीय अधिकारी को देनी होगी व साथ ही अवकाश की सूचना बोलीदाता को भी देनी होगी।
7. सिक्योरिटी मैन अवकाश पर जाने पर बोलीदाता द्वारा लगाये गये नये सिक्योरिटी मैन के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक का पूर्ण पता फोटो पहचान पत्र व मोबाइल नम्बर आदि का विवरण कार्यालय में देना होगा।
8. सिक्योरिटी मैन रूप में कार्य करने वाले श्रमिक के द्वारा परिसर में मद्यपान व घ्रुमपान आदि का सेवन वर्जित है। मद्यपान व ध्रुमपान आदि करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. सिक्योरिटी मैन रूप में कार्य करने वाले श्रमिक का पूर्ण पता, फोटो पहचान पत्र व मोबाइल नम्बर आदि का विवरण कार्यालय में देना होगा।
10. सिक्योरिटी मैन रूप में कार्य करने वाले श्रमिक संस्था में किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है तो उसका उतरदायित्व स्वयं बोलीदाता का होगा व नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय चित्तौडगढ को होगा।
11. सिक्योरिटी मैन कार्य हेतु उपलब्ध करवाने बाबत् इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नही होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए सिक्योरिटी मैन की उपलब्धता देय ठेके की अवधि RTPPR 2012 RTPPR 2013 एवं GF&AR उल्लेखित प्रावधानुसार घटाई या बढाई जा सकेगी।
12. यदि निविदादाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नही कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण करा लेंगे जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा कार्य सम्पादन राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि क्षेत्रीय कार्यालय चित्तौडगढ उसकी अमानत राशि में से पेनेल्टी के रूप में काटेगा। समय पर सिक्योरिटी मैन उपलब्ध न कराने व शर्तो को न मानने पर निविदादाता को भविष्य के लिए ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ (राज.)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...

दूरभाष : 01472—294158

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :—राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026—27/ई—निविदा संख्या—01/ दिनांकः

....

—: वाहन चालक की सेवायें किराये पर लेने हेतु मांगी जाने वाली निविदा के लिये विशिष्ट नियम एवं शर्तेः—

1. ड्राईवर परिवहन विभाग द्वारा जारी उपयुक्त लाईसेंस शुदा होना चाहिये एवं वर्दी में रहना चाहिये। वर्दी बोलीदाता द्वारा ही दी जावेगी। विभाग द्वारा इस हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।
2. वाहन चालक द्वारा वाहन की लॉगशीट प्रतिदिन संधारित कर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाई जावेगी।
3. आवश्यकता पडने पर वाहन चालक को राजपत्रित अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है। यदि वाहन चालक उपलब्ध नहीं होता तो बोलीदाता को दूसरा वाहन चालक उपलब्ध करवाना होगा। इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
4. वाहन चालक मुख्यालय से बाहर जाने पर एक रात्रि विश्राम 300/— रूपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जायेगा।
5. कार्यो के विवरण मे दिये गये कार्यो को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप मे अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप मे उत्तरदायी नही होगा ।
6. मण्डल के वाहन में किसी भी प्रकार की टूट—फूट होने या दुर्घटना होने पर सम्बन्धित व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
7. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने या चालान होने पर बोलीदाता का ही उत्तरदायित्व होगा एवं मण्डल उसका किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं देगा।
8. मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए वाहन चालक को हटा सकता है।
9. वाहन चालक द्वारा मण्डल के वाहन का पूर्ण रखरखाव, साफ—सफाई आदि का कार्य प्रतिदिन किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम..

दूरभाष : 01472...

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांकः

–: विभिन्न कार्यों को सम्पन्न करने वाले सेवा निष्पादक/कार्मिक हेतु योग्यता का विवरणः–

श्रेणी जॉब श्रमिक/कार्य का संक्षिप्त विवरण	उक्त कार्य करने बाबत निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता
1. उच्च कुशल : अनुभवी भाग 1 एवं 2 में वर्णित नियोजनो में नियोजित श्रमिको/कर्मचारियों के वर्गीकरण के अनुसार।	संवेदक उच्च पद हेतु नियमित भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता अनुसार उपलब्ध करवाएगा। 1. संवेदक सम्बन्धित व्यक्ति की शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र (स्वप्रमाणित) प्रस्तुत करेगा एवं नियोजन से पूर्व संबंधित कार्यालय में उपलब्ध करवाएगा। 2. कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरांत ही उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी एवं मांग पर फोटो प्रति भी उपलब्ध करवानी होगी। 3. शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण सम्बन्धित दस्तावेजों के सत्यापन हेतु संवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि होने पर जिम्मेदार माना जाएगा तथा कमी पाए जाने पर संवेदक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

विशेष विवरण — उच्च कुशल कार्य से आशय है ऐसा कोई भी कार्य जिसमें संगणन तकनीक या व्यावसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षों के व्यावहारिक कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्य के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित है।

1. वित्त विभाग (G&T), राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1) वित्त/एफएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी संशोधन परिपत्रों एवं स्पष्टीकरण परिपत्रों की पालना के अनुसार ही मानव संसाधन का उपापन किया जाएगा।
2. प्रयोगशाला परिचर व क्षेत्र सहायक (Field Assistant) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कम–से–कम माध्यमिक व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। विज्ञान संकाय होने पर प्रार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। जिनका कार्य क्षेत्रीय प्रयोगशाला में तकनीकी कार्मिकों का सहयोग व वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का संचालन, एवं प्रयोगशाला संबंधित कार्यो में सहायक कार्मिक होगा।
3. बागवान (अंशकालीन) को चार घंटे से कम की ड्यूटी पर लगाया जाएगा। उसे कार्यालय परिसर स्थित बागों के रख–रखाव एवं साफ–सफाई की पूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। बागवान को गार्डन में लगी घास एवं पौधों की कटाई, मौसम के अनुसार गमलों एवं गार्डन के चारों ओर फूलवारी लगाना, पेड़–पौधों की देखभाल करना, उनमें पानी, खाद तथा कीटनाशक डालना आदि कार्य करने होंगे। इस हेतु आवश्यक औजार एवं घास काटने की मशीन संवेदक/निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी तथा पेड़–पौधे, गमले आदि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।
4. सफाई कर्मचारियों को प्रतिदिन निर्धारित कार्यालय समयानुसार अंशकालीन आधार पर ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय सफाई हेतु आवश्यक सामग्री कार्यालय द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी। क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में एकत्रित कचरे को किसी भी स्थिति में परिसर में नहीं जलाया जाएगा।
5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार (सुबह 9:30 से सायं 6:00 बजे तक) ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन, किसी भी समय कार्य करना होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सामान्यतः कार्यालय में स्थापित टेबल, कुर्सी, बेंच, अलमारी आदि की सफाई करना, अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु पीने का पानी भरना, कार्यालय की पत्रावलियों, फाइलों एवं रिकॉर्ड आदि को आदेशानुसार लाना एवं ले जाना, कार्यालय फर्नीचर को व्यवस्थित रखना तथा प्रभारी द्वारा बताए गए अन्य कार्य करने होंगे।

नोट : उपरोक्त सभी सेवा निष्पादक/कार्मिक 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होंगे एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...

दूरभाष : 01472–294158

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांक:

प्रपत्र - 01
वित्तीय टर्न ऑवर

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ऑवर (राशि रू. लाखों में)
1.	2022-23	
2.	2023-24	
3.	2024-25	

1. सी.ए. द्वारा जारी सर्टिफिकेट सलंग्न करना अनिवार्य है।
2. सी.ए. द्वारा दिये गये टर्न ओवर सर्टिफिकेट UDIN पद्वति से ही मान्य होगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
व फर्म का पता मोहर सहित

दूरभाष : 01472-

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :-राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026-27/ई-निविदा संख्या-01/ दिनांक:

प्रपत्र - 02

उल्लेखित पदानुसार अनुभव कार्य का विवरण (पांच वर्षो से पुराना नहीं)

(2021-22 से 2025-26)

क्र. सं.	उपलब्ध करवाये गयें कर्मिकों / श्रमिकों का पद	संख्या	कार्य की अवधि	संस्थान का नाम
1.	कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की सेवायें			
2.	वाहन चालक की सेवायें			
3.	सिक्योरिटी मैन की सेवायें			
4.	प्रयोगशाला परिचर की सेवायें			
5.	क्षेत्र सहायक की सेवायें			
6.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की सेवायें			
7.	बागवान की सेवायें			
8.	सफाई कार्मिक की सेवायें			

नोट :- 1. अनुभव प्रमाण पत्र सलंग्न करे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम व फर्म का पता मोहर सहित

दूरभाष : 01472–294158

क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ
Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांकः

(100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

ब्लैक लिस्ट /अयोग्य न होने तथा अन्य सक्षमताऐं पूरी करने का प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि :-

1. हमारी फर्म को किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय संस्था/निगम/बोर्ड आदि के द्वारा मानव संसाधन सेवाएं आदि की आपूर्ति को संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं करने के लिये कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है और न ही ब्लैक लिस्ट/अयोग्य घोषित किया गया है।
2. यह है कि इस बोली हेतु हमारी फर्म आवश्यक वित्तीय, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रबंधकीय स्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करती है।
3. यह है कि हमारी फर्म द्वारा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा यथास्थिति किसी स्थानीय प्राधिकरण को संदेय समस्त करों का भुगतान किया जा चुका है और कोई भी कर बकाया नहीं है।
4. यह है कि हमारी फर्म दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं है, न ही किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखती है। न ही फर्म का कार्यकलाप निलंबित है और न ही पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिये कोई विधिक कार्यवाहियों के अध्ययधीन है।
5. यह है कि हमारे व्यावसायिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती 3 वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिये अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दाण्डिक अपराध के संबंध में हमारी फर्म अथवा फर्म के निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध नहीं हुए हैं और न ही विवर्जन कार्यवाही के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो कि की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निविदादाता का नाम रू ....
मोबाइल नम्बर रू ....
पूर्ण पता रू ....

दूरभाष : 01472-

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ **दिनांकः**

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है एवं वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है। वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा RTPP अधिनियम की धारा 46 एवं RTPP नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (Debarred) नही है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया हैं, रद्द कर दिया जाऐं।

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

1. निविदादाता का नाम :..
   मोबाईल नम्बर :..
   ई–मेल आई.डी. : :..
2. पूर्ण पता :..
   ....
   ....
   टेलीफोन नम्बर (निवास) :..
   (कार्यालय) :..

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दूरभाष : 01472–294158

क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ
Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांकः

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation ;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process ;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or in directly, to any party or to its property to influence the procurement process ;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclosed any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity;

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A. Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

a. have controlling partners/ shareholders in common, or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder; or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process participation by a Bidder in more then one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Good, Works or Services that are the subject of the Bid; or

Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer – in – charge / consultant for the contract.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दूरभाष : 01472

क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ
Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांकः

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid Submitted to...for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated.............................. I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act .2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Ac, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:....................

Palace:..................

Signature of bidder

Name:..

Designation:................................

Address:.......................................

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दूरभाष : 01472–294158

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांकः

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Member Secretary Jaipur**
The designation and address of the Second Appellate Authority is **Chairperson, RSPCB Jaipur**

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases.**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality;

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण ... मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non – refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter;

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दूरभाष : 01472–294158

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांकः

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No …………………

of……………………………………………………………………………………………

……

Before the ………………………………………………………………………………

(First /Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   - (i) Name of the appellate:
   - (ii) Official address, if any:
   - (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   - (i)
   - (ii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:

   ……………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………
   ………………

   (Supported by an affidavit)
7. Prayer:

   ……………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………
   …………

Place:………………

Date:…………………

Appellant's Signature

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid this substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis :

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount is words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unite prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.

ii. If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less then the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more then 25% of the value of Goods of the original

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more then one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दूरभाष : 01472—294158

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :—राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026—27/ई—निविदा संख्या—01/ दिनांक:

E-PROC पर वित्तीय बोली अपलोड करने हेतु प्रपत्र

संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिए बोली में दरे निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी

क्र.स.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय प्रति माह पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या			सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर रूपये	EPF दर प्रतिशत (नियोक्ता अंशदान)	ESI दर प्रतिशत (नियोक्ता अंशदान)	सामग्री राशि/ उपकरण किराया (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू) (न्यूनतम ₹1000/—)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू) (न्यूनतम ₹500/—)	कुल राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की सेवायें	उच्च कुशल	12,000/— (प्रति कार्मिक)	04 (चार)						
2	वाहन चालक की सेवायें	कुशल	12,000/— (प्रति कार्मिक)	01 (एक)				——		
3	सिक्योरिटी मैन की सेवायें	कुशल	8,034/— (प्रति कार्मिक)	03 तीन)				——		
4	प्रयोगशाला परिचर की सेवायें	कुशल	8,034/— (प्रति कार्मिक)	01 (एक)				——		
5	क्षेत्र सहायक की सेवायें	कुशल	8,034/— (प्रति कार्मिक)	01 (एक)				——		
6	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की सेवायें	अकुशल	10,000/— (प्रति कार्मिक)	02 (दो)				——		
7	बागवान की सेवायें (अंशकालीन आधार पर)	कुशल	4,017/— (प्रति कार्मिक)	01 (एक)		लागू नही		——		
8	सफाई कार्मिक की सेवायें (अंशकालीन आधार पर)	अकुशल	3,705/— (प्रति कार्मिक)	02 (दो)		लागू नही		——		

Continue ....

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दूरभाष : 01472–294158

क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ
Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2026–27/ई–निविदा संख्या–01/ दिनांकः

वित्तीय प्रपत्र सम्बन्धी शर्ते :–

1. वित्तीय बोली प्रपत्र मात्र E-PROC पोर्टल पर निर्धारित BOQ Excel File द्वारा अपलोड करनी है। किसी भी स्थिति में दरें तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत ना करें। ऐसा करने पर बोली निरस्त कर दी जायेगी।
2. न्यूनतम दरदाता का निर्धारण श्रेणीवार कॉलम संख्या 10 में न्यूनतम आधार पर किया जायेगा।
3. वित्तीय बोली के स्तम्भ संख्या–8 "सामग्री राशि/उपकरण किराया" में न्यूनतम ₹1,000/–तथा स्तम्भ संख्या–9 "सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज" में न्यूनतम ₹500/– प्रति माह प्रति इकाई से कम दर उद्धृत/अंकित होने पर वित्तीय बोली निरस्त मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त उक्त दोनो स्तम्भो में राशि पूर्णांक में ही स्वीकार्य होगी।
4. स्तम्भ संख्या 5 में दर न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। इससे कम की राशि निविदा पत्र में अंकित किये जाने पर निविदा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये जायेंगे।
5. क्रम संख्या 1, 2 एवं 6 में चाही गई (कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक/वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कार्मिक) सेवाओं हेतु राज्य मण्डल द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि उल्लिखित की गई है। इससे कम की राशि निविदा पत्र में अंकित किये जाने पर निविदा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये जायेंगे।
6. समान दर की स्थिति में चयन सामान्य शर्तों के बिंदु संख्या 27 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। **(प्रपत्र–1 एवं प्रपत्र–2 सलंग्न करे)**
7. शर्तयुक्त अथवा अपूर्ण वित्तीय निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...